नगर पंचायत जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2013 से 03/2015

भाग–एक

1 प्रारम्भिक

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन (एल0ए0)–खण्ड–iv दिनांक 16/10/2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी के अवधि–4/13 से 3/15 के लेखाओं का अंकेक्षण किया गया। अंकेक्षण अवधि–4/13 से 3/15 के दौरान नगर पंचायत जोगिन्द्रनगर के अध्यक्ष तथा सचिव निम्नानुसार थे।

<u>अध्यक्ष</u>

क्र0सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमति प्रतिभा	1/4/13 से 31/3/15

<u>सचिव</u>

क्र0सं0	नाम	अवधि
1.	श्री शिव सिंह सेन (सचिव)	1/4/13 से 31/12/13
2.	श्री सीता राम चौहान (तहसीलदार)	1/1/14 से 16/8/14
3.	श्री हरीश शर्मा (तहसीलदार)	31/11/14 से 31/3/15

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

नगर पंचायत जोगिन्द्रनगर के लेखाओं अवधि 4/2013 से 3/2015 के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमिताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि लाखों में
1.	दिनांक 31/3/15 को अनुदान की अनुपयुक्त राशि	6(ग)	193.78
2.	मोबाईल कम्पनियों से स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की वसूली योग्य राशि शेष	7	1.11

3.	दुकानों के किराये की वसूली शेष	8	3.04
4.	गृहकर की वसूली योग्य राशि शेष	9	52.67
5.	कच्चे खोखों के किराये की वसूली शेष	10	0.76
6.	अनुदान राशि से वेतन व मजदूरी का अनियमित भुगतान	13	45.08
7.	रेहन वसेरा भवन के अधूरे निर्माण के कारण राशि का अवरोधन	14	9.52
8.	संविदाकार को अधिक भुगतान	15(क)	0.14

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण के **परिशिष्ट 'क'** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गइ थी, जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः पंचायत इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई सुनिश्चित करे व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

नगर पंचायत जोगिन्द्रनगर के अवधि 4/13 से 3/2015 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण श्री चन्द्रेश हाब्डा सहायक नियन्त्रक लेखा परीक्षा व श्री ध्रुव राज कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 19/6/2015 से 14/7/2015 के दौरान नगर पंचायत जोगिन्द्रनगर में किया गया। विस्तृत जांच हेतु आय के लिए माह 5/13 व 3/15 तथा व्यय के लिए माह 5/13 व 31/15 के लेखाओं का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैरों में समाविष्ट किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर पंचायत द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर किया गया है। नगर पंचायत द्वारा प्रदान की गई किसी गलत सूचना एवं सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व नहीं होगा। क्योंकि संस्था का अंकेक्षण कार्य चयनित मासों तक ही सीमित है।

3. लेखा परीक्षा शुल्क

नगर पंचायत जोगिन्द्रनगर के लेखाओं अवधि 4/13 से 3/15 तक के अंकेक्षण करने का शुल्क ₹34,200 आंका गया। सचिव नगर पंचायत जोगिन्द्रनगर को सहायक नियन्त्रक लेखा

परीक्षा की अधियाचना संख्या फिन(एल0ए0)(एस0एम0)/641 दिनांक 14/7/2015 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को भेजने का अनुरोध किया गया। नगर पंचायत द्वारा यह राशि ड्राफ्ट संख्या 204342 दिनांक 21/7/2015 द्वारा निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4. वित्तीय स्थिति

सचिव नगर पंचायत जोगिन्द्रनगर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार नगर पंचायत जोगिन्द्रनगर की अवधि 4/2013 से 3/2015 की अपने स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ख"** में दिया गया है।

वर्ष 2013–14

क्र0 सं0	स्व स्त्रोत	प्र0 शेष	आय	कुल	व्यय	शेष राशि
1.	अनुदान	764959.78	16,47,262.22	2412222.00	2411783.00	439.00
		4744546.00	8147945.00	12892491.00	8658648.00	4233843.00
2.	**योग**	**5509505.78**	**9795207.22**	**15304713.00**	**11070431.00**	**4234282.00**

वर्ष 2014–15

क्र0 सं0	स्व स्त्रोत	प्र0 शेष	आय	कुल	व्यय	शेष राशि
1.	अनुदान	439.00	8542450.00	8542889.00	80,08,416.00	534473.00
		4233843.00	2,41,40891.00	28374734.00	8289491.00	20085243.00
2.	**योग**	**4234282.00**	**3,26,83341.00**	**3,69,17623.00**	**16,29,7907.00**	**20,61,9716.00**

4.1 बैंक समाधान विवरणीः–

(i) दिनांक 31/3/2015 तक पंचायत की रोकड़ वहियों के अनुसार शेष राशि ₹20619716

(ii) दिनांक 31/3/15 तक बैंक खातों की शेष राशि

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	राशि
1.	को–ओपरेटिव बैंक	3204	531986.78
2.	एक्स0 वी0 आई0	43024	2078795.42
3.	पी0एन0बी0	84018	15,50,557.15
4.	को–ओपरेटिव बैंक	6880	153,25,149.60

5.	ग्रामीण बैंक	2435	55034.00	
6.	पी0एन0बी0	18269	40704.00	
7.	को–ओपरेटिव बैंक	15492	46759.00	
8.	उपरोक्त	3706	355611.00	
9.	उपरोक्त	3705	54515.00	2003911
			अंतर	**₹5,80604.65**

4.2 रोकड़ वही का अनुरक्षण नियमानुसार न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ वही का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया था और न ही प्रत्येक माह के अंत में बैंक से समाधान किया गया था। अतः रोकड़वहियों व बैंक खातों का मिलान न करने के कारण 31/2/15 तक रोकड़वहियों व बैंक खातों में राशि ₹580604=65 का अन्तर पाया गया। अतः इस राशि का समाधान किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 **परिशिष्ट "ग"** में सन्दर्भित खातों को नगर पंचायत द्वारा पी0एन0बी में खोले गये थे तथा इनमें प्रत्येक के आगे दर्शाई गई राशियां 31/3/2015 को शेष थीं, लेकिन इन खातों में किये गए लेन–देन का रखरखाव बैंक पासबुक के आधार पर किया गया है, इन खातों के लिए कोई रोकड़ वही का अनुरक्षण नहीं किया गया है। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा रोकड़ वही का नियमानुसार रखरखाव करना सुनिश्चित किया जाये।

5. निवेश

पेंशन व ग्रेच्युटी खाता संख्या 96631 में से ₹8 लाख की राशि दिनांक 4/7/2013 को कार्पोरेशन बैंक में निवेशित की गई, जिसे दिनांक 2/4/2015 को परिपक्वता उपरान्त ₹923402 की राशि में से ₹6.00 लाख की राशि पेशन इत्यादि के भुगतान हेतु दिनांक 2/4/2015 को हस्तान्तरित की गई व शेष ₹323402 की राशि सावधि जमा योजना में दिनांक 2/4/2015 को कार्पोरेशन निवेशित शेष है। इसका विवरण **परिशिष्ट "ण"** में दिया गया है।

6. अनुदान

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अंकेक्षण अवधि में प्राप्त व व्यय की गई अनुदानों की विवरणी परिशिष्ट "छ" पर दर्शाई गई है। जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(क) अनुदान रजिस्टरः—

नगर पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित रजिस्टर का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया था। इस संदर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 5 "क" में भी आपत्ति उठाई थी, लेकिन पंचायत द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी अमल नहीं किया गया। यह चिन्ताजनक है। अतः अनुदान रजिस्टर का रखरखाव न करने बारे में औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा विभिन्न अनुदान राशियों की प्राप्ति व उपयोग के बिल संख्या इत्यादि का महावार विवरण रखा जाए तदोपरान्त ही उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग को जारी किया जाये। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(ख) आय व व्यय के वर्गीकृत सार रजिस्टर का रखरखाव न करनाः—

नगर पंचायत की आय व व्यय का लेखा—जोखा वर्गीकृत सार रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया है। जिसके अभाव में शीर्ष अनुसार आय व व्यय के सही आंकड़ों की पुष्टि करना सम्भव नहीं है। अतः वर्गीकृत सार रजिस्टर तैयार किया जाये, जिससे अनुदानों की उपयोगिता प्रमाण पत्रों में दर्शाये गये व्यय की सत्यता की पुष्टि की जा सके।

(ग) दिनांक 31/3/2015 को अनुदानों की अनुपयुक्त राशि ₹193.78 लाखः—

परिशिष्ट "ख" पृष्ठ 2 से स्पष्ट है कि दिनांक 31/3/15 को कुल राशि ₹19911997(—)₹534482 (स्वयं स्त्रोत)=₹19377515 की अनुदान की राशि अनुपयुक्त थी। अनुपयुक्त राशियों का उपयोग नियमानुसार (समयवध) उसी उद्देश्य हेतु किया जाये, जिसके लिए इन्हे स्वीकृत किया गया था। अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाये, अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

7. मोबाईल कम्पनियों से टावर स्थापना व नवीनीकरण शुल्क राशि ₹1.11 लाख की वसूली शेषः—

अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों द्वारा मोबाइल संचार टावर स्थपित किये गये थे। दिनांक 31/3/15 को विभिन्न मोबाइल कम्पनियों से स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की राशि ₹111250 वसूली हेतु शेष थी। जिसका विवरण परिशिष्ट "ज" में दर्शित है। बकाया राशि की वसूली यथाशीघ्र सुनिश्चित की जाये। अनुपालना से अवगत करवाया जाये।

8. दिनांक 31/3/15 तक दुकानों के किराये की राशि 3.04 लाख वसूली हेतु शेषः–

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31/3/15 को दुकानों के किराये की राशि ₹304341 वसूली योग्य शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "झ"** में दिया गया है। अतः सचिव नगर पंचायत इस राशि की वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कदम उठाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9. गृहकर की राशि ₹52.68 लाख की वसूली न करना

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/3/15 को गृहकर के रूप में राशि ₹5267818 वसूली शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ट"** में दिया गया है। इस राशि की वसूली हेतु नगर पंचायत द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं किया गये थे। अतः नगर पंचायत द्वारा इस राशि की वसूली हेतु नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाये। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. दिनांक 31/3/15 तक कच्चे खोखों के किराये की राशि ₹0.76 लाख की वसूली शेषः–

अभिलेख की जांच में पाया गया कि नगर पंचायत क्षेत्र में विभिन्न दुकानदारों को आवंटित 11 कच्चे खोखों से दिनांक 31/3/15 तक की किराया राशि ₹75970 की वसूली शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ठ"** में दिया गया है। पंचायत इस राशि की वसूली हेतु ठोस कदम उठाये तथा अनुपालना की जांच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाये।

11. स्लाटर हाउस से की गई वसूलियों को देरी से बैंक में जमा करवाने बारेः–

अभिलेख की जांच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा स्लाटर हाउस से आर–7 रसीदों के माध्यम से वसूली की गई राशियों को बैंक में रोज जमा न करवा कर महीने में एक या दो बार इकट्ठी जमा करवाया जाता था, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। नियमानुसार वसूली वाले दिन ही राशि को बैंक में जमा करवाकर रोकड़ में इंन्द्राज लेना आपेक्षित है।

अतः वसूल की गई राशियों को समय पर बैंक में जमा न करवाकर इकट्ठी जमा करवाने का कारण स्पष्ट किया जाये व भविष्य में वसूली उपरान्त उसी दिन राशि को जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

12. स्थापनाः

(क) कर्मचारी की जन्मतिथि सेवा पुस्तिका में अनियमित रूप से बदलने बारेः—

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/4/11 से 31/3/13 के पैरा 7(क) की संशोधित स्थिति निम्न प्रकार से है। निदेशक शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के आदेश संख्या ULB-H(A)(1)-49/94 दिनांक 17/2/1998 द्वारा 2 सफाई कर्मचारियों का नियमितीकरण दिनांक 1/1/1998 से किया गया। उक्त पत्रानुसार श्रीमति गुरमीत की जन्मतिथि 13/1/1949 थी। कर्मचारी वर्ष 1983 से दैनिकभोगी थे व इनकी जन्मतिथि का वर्णन अभिलेख में 13/1/1949 था। सचिव/कार्यकारी अधिकारी द्वारा भी निदेशक शहरी विकास से पत्राचार में इनकी जन्मतिथि 13/1/1949 दर्शाई गई थी। उपरोक्त कर्मचारी द्वारा नियमितिकरण के समय प्रस्तुत शपथ पत्र व जन्मतिथि, प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया था के अनुसार जन्मतिथि 13/1/1958 दर्शाई गई है। कार्यालय द्वारा सेवा पंजीका में जन्मतिथि 13/1/1949 के स्थान पर 13/1/1958 दर्शाई गई, जो संदिग्ध प्रतीत होता है उपरोक्त कर्मचारी 1/1/1998 से नियमित है व जन्मतिथि 13/1/1949 के आधार पर 58 वर्ष की आयु उपरान्त इन्हे 31/1/2007 को सेवानिवृत्त किया जाना अपेक्षित था। उपरोक्त के अतिरिक्त कर्मचारी द्वारा दिनांक 31/3/2014 को ऐच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन किया और नगर पंचायत द्वारा कर्मचारी को 30/4/2014 को सेवानिवृत्त कर दिया। कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत पेंशन प्रपत्रों की जांच में पेंशन प्रपत्र फार्म—3 प्रति संलग्न **परिशिष्ट "ड"** में अपने परिवार का विवरण निम्न प्रकार से दिया है।

क्र0 सं0	परिवार सदस्यों के नाम	सम्बन्ध	जन्मतिथि
1.	श्रीमति गुरमीत कौर	स्वयं	1/7/1958
2.	श्री बलविन्दर सिंह	पुत्र	13/8/1968

उपरोक्त विवरण में संदर्भित कर्मचारी 10 वर्ष की आयु में बेटा पैदा हुआ दर्शा रही है जो असम्भव व संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः कर्मचारी 1/2/2007 से 30/4/2014 तक अनावश्यक रूप से सेवारत रहकर वेतन प्राप्त करती रही व इनका पेंशन व अन्य देय लाभ भी 30/4/14 के वेतन से निर्धारित किये गये हैं। यह प्रकरण हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आवश्यक आगामी कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

13. 13वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से ₹45.08 लाख का वेतन व मजदूरी का अनियमित भुगतानः—

निदेशक शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार पत्र संख्या यू0डी0एच(C)(2)—1/2008—iii-11172-11220 दिनांक 2/6/2011 द्वारा स्पष्ट दिशा—निर्देश हैं

कि 13वें वित्त आयोग के अनुदानों से 20 प्रतिशत तक के राशि ही वेतन व मजदूरी भुगतान व शेष 80 प्रतिशत राशि सफाई, बिजली सम्पतियों के रखरखाव व अन्य विकास कार्यों पर व्यय की जानी अपेक्षित थी। नगर पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार 13वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशियों से वेतन व मजदूरी पर व्यय किया गया। **(परिशिष्ट "ढ")**

वर्ष	**13th F.C प्राप्त अनुदान (₹)**	**20% राशि/वेतन/मजदूरी हेतु व्यय योग्य**	**वेतन/मजदूरी पर व्यय ₹**	**अधिक व्यय**
2013-14	29,32200	586440	2932200	2345760
2014-15	5599284	1119857	3282238	2162381
			कुल	₹ 4508141

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि 13वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशियों से वेतन व मजदूरी पर राशि ₹4662806=08 का अनियमित व्यय किया गया। यह राशि सफाई, बिजली, सम्पति रखरखाव व अन्य विकास कार्यों हेतु व्यय की जानी अपेक्षित थी। अतः ₹46.63 लाख के अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित किया जाये।

14. रेहन वसेरा भवन के अधूरे निर्माण पर राशि ₹9.52 लाख का अवरोधन करनाः–

रेहन वसेरा भवन का निर्माण कार्य दिनांक 1/12/2004 से शुरू किया व माह 3/2008 तक निर्माण पर ₹951743 का व्यय किया। इस भवन में केवल बिजली व पानी का कार्य शेष था। यह शेष कार्य अभी तक शुरू नहीं किया है। अतः कार्य समय पर पुरा न करने के कारण व्यय की गई राशि ₹9.52 लाख निरर्थक है और नगर पंचायत भी आय से वंचित है। इस भवन पर किये गये निरर्थक व्यय बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

15. मैं विश्वाकर्मा स्टील इन्डस्ट्री को राशि ₹0.14 लाख का अधिक भुगतानः–

संविदाकार का नाम	**कार्य आवंटन संख्या**	**भुगतान व माप पुस्तिका/पृष्ठ**	**कार्य लागत**	**कार्य का नाम**
मैं0 विश्वाकर्मा स्टील इन्डस्ट्री	1041 दिनांक 11/2/2013	दिनांक 12/6/13 माप पुस्तिका 38/83	₹300577	मैन्यूफेक्चरिंग ऑफ डस्टबिन

(क) उपरोक्त कार्य हेतु एक डस्टबिन का मापन 287.23kg व 5%wastage जोड़कर 287.23+ 14.36kg=301.59kg दर्शाकर कुल 12 डस्टबिनx 301.59kg=3619kg का ₹83 प्रति किलो की दर से कुल ₹300,377 का बिल तैयार कर भुगतान किया गया। Troughrate tender में मद की दरों

में wastage सम्मिलित होती हैं। अतः संविदाकार को 14.36 kg x 12डस्टबिन x ₹83 प्रतिकिलो कुल ₹14,303 का अधिक भुगतान किया गया, जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाये।

(ख) 100 बैग सीमेन्ट का संदिग्ध दुर्विनियोजनः–

अंकेक्षण अवधि में निम्न आवंटित कार्यों हेतु संविदाकारों को सीमेन्ट जारी किया गया।

कार्य का नाम	आवंटन संख्या	सीमेन्ट जारी
Path from dugh panjagana to wards basln house.	844 दिनांक 29/9/12 ₹206,516	50 वैग (मांग पत्र 9 दिनांक 12/4/13)

कार्य का नाम	आवंटन संख्या	सीमेन्ट जारी
Protechli wall near Nek Ram house ward no. 3.	उपलब्ध नहीं की गई	50 वैग (मांग पत्र 10 दिनांक 12/4/13)

उपरोक्त दोनों कार्यों हेतु संविदाकार श्री विनोद को कुल 100 वैग सीमेन्ट जारी किया गया, लेकिन संविदाकार द्वारा उपरोक्त कार्य का निष्पादन न कर 100 वैग सीमेन्ट का संदिग्ध र्दुविनियोजन किया गया प्रतीत होता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व सीमेन्ट की वसूली पैनल दर से की जानी सुनिश्चित की जाये।

(ग) टैण्डर रजिस्टरः–

अंकेक्षण अवधि में निविदा खोलने का रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इसे आगामी लेखा परीक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

16. सचिव नगर पंचायत जोगेन्द्रनगर को मोबाइल फोन राशि ₹3000 का अधिक भुगतानः–

निदेशक शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के ज्ञापन संख्या यू0डी0एच0 (7)–19/97–ii–10199–10246 दिनांक 15/9/2007 के अनुसार कार्यकारी अधिकारी/सचिवों को मोबाइल फोन राशि ₹400 द्विमासिक आधार पर देय थी, लेकिन श्री शिव सिंह सचिव द्वारा अवधि 1/3/2013 से 31/5/2014 तक राशि ₹400 को प्रति माह वेतन बिलों के साथ अहरित किया गया। अतः इन्हें कुल 15 माह में ₹3000 के स्थान पर ₹6000 का भुगतान किया गया। अतः सेवानिवृत सचिव से ₹3000 की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये।

17. वेतन व भत्तों को राशि ₹890 का अधिक भुगतानः–

श्री मनोहर लाल चालक की सेवा पंजिका की जांच पर पाया कि दिनांक 1/8/13 को इनका मूल वेतन ₹7870+ग्रेड पै ₹2400=कुल₹10270, लेकिन निम्न विवरणानुसार इन्हें राशि ₹890 का अधिक भुगतान किया गया।

अवधि	वेतन+महंगाई भत्ता	कुल	देय राशि वेतन+महंगाई भत्ता	कुल	अन्तर	माह	अधिक भुगतान
1-9-12 to 31-12-13	10290/9261	19551	10270/9243	19513	38	4	152
1-1-14 to 30-6-14	10290/10290	20580	10270/10270	20540	40	6	240
1-7-14 to 31-7-14	10290/11010	21300	10270/10989	21259	41	1	41
1-8-14 to 31-12-14	10600/11342	21942	10580/11321	21901	41	5	205
1-5-15 to 30-6-15	10600/11342	21942	10580/11321	21900	42	6	252
							₹890

अतः ₹890 की वसूली कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाये।

18. लद्यु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

19. निष्कर्षः– लेखों के रखरखाव में सुधार की आवश्यकता है। निर्माण सम्बन्धित कार्यों के अभिलेख के रखरखाव में विशेष पर्यवेक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या वित्त v(89)/88-2012-खण्ड–2–5859, दिनांक 6.1.16 ,शिमला–171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला 171002 को पैरा 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित हैं।

पंजीकृत 2. सचिव नगर पंचायत जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह उस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट "क"

पैरा संख्या:–1(ग) में संदर्भित

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि–4/82 से 3/85 तक

1.	पैरा–4(4)	अनिर्णीत
2.	पैरा–6(4)	अनिर्णीत
3.	पैरा–7(1)	अनिर्णीत
4.	पैरा–7(6)	अनिर्णीत
5.	पैरा–7(7)	अनिर्णीत
6.	पैरा–7(8)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि–4/85 से 3/87 तक

1.	पैरा–8(ए)(1)	अनिर्णीत
2.	पैरा–8(ए)(2)	अनिर्णीत
3.	पैरा–8(बी)	अनिर्णीत
4.	पैरा–8(बी)(1)(2)	अनिर्णीत
5.	पैरा–8(ई)	अनिर्णीत
6.	पैरा–8(एफ)	अनिर्णीत
7.	पैरा–9(7)	अनिर्णीत
8	पैरा–9(9)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि–4/87 से 3/90 तक

1.	पैरा–10	अनिर्णीत
2.	पैरा–12(ख)(2)	अनिर्णीत
3.	पैरा–12(ख)(3)	अनिर्णीत
4.	पैरा–12(ख)(4)	अनिर्णीत
5.	पैरा–12(ख)(5)	अनिर्णीत
6.	पैरा–12(ख)(6)	अनिर्णीत
7.	पैरा–12(ख)(7)	अनिर्णीत
8	पैरा–12(ख)(8)	अनिर्णीत
9.	पैरा–12(ख)(9)	अनिर्णीत
10.	पैरा–12(ख)(10)	अनिर्णीत

11.	पैरा–12(ख)(11)	अनिर्णीत
12.	पैरा–12(ख)(12)	अनिर्णीत
13.	पैरा–12(ख)(13)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि–4/90 से 3/92 तक

1.	पैरा–8	अनिर्णीत
2.	पैरा–9(2)	अनिर्णीत
3.	पैरा–9(5)	अनिर्णीत
4.	पैरा–9(6)(7)(8)	अनिर्णीत
5.	पैरा–10,11,12,13(1)(2)(3)	अनिर्णीत
6.	पैरा–16(4)(5)	अनिर्णीत

(ड.) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि–4/92 से 3/95 तक

1.	पैरा–5(2)(क)(ख)	अनिर्णीत
2.	पैरा–6(ख)(4)(5)(ग)(घ)	अनिर्णीत
3.	पैरा–8(क)	अनिर्णीत
4.	पैरा–13	अनिर्णीत
5.	पैरा–14	अनिर्णीत
6.	पैरा–15	अनिर्णीत
7.	पैरा–18(क)(ख)(ग)(घ)(ड) (च)(छ)(ज)(झ)(ञ)(ट)(ठ)(ड) (ढ)(ण)(त)(थ)	अनिर्णीत
8	पैरा–19	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि–4/95 से 3/98 तक

1.	पैरा–7(ख)(ग)	अनिर्णीत
2.	पैरा–9	अनिर्णीत
3.	पैरा–13(2)	अनिर्णीत
4.	पैरा–13(7,8,9,10,11,31)	अनिर्णीत
5.	पैरा–14(2,3)(1)(2)(3)7	अनिर्णीत
6.	पैरा–15(1,12,16)	अनिर्णीत
7.	पैरा–17(1)(1,2,3)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि–4/95 से 3/05 तक

1.	पैरा–11	अनिर्णीत
2.	पैरा–12	अनिर्णीत
3.	पैरा–14(3)	अनिर्णीत
4.	पैरा–14(v) (vi)	अनिर्णीत
5.	पैरा–14(vii)	अनिर्णीत
6.	पैरा–14(viii)(ix)(x)	अनिर्णीत
7.	पैरा–14(xii)(xiii)(xiv)(xv)	अनिर्णीत
8	पैरा–14(xvi)	अनिर्णीत
9.	पैरा–14(xvii)(xviii)(xix)	अनिर्णीत
10.	पैरा–14(xxiii)(xxiv)	अनिर्णीत
11.	पैरा–15(16)	अनिर्णीत
12.	पैरा–17(i) (ii)(iii)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि–4/05 से 3/07 तक

1.	पैरा–4(ए)	अनिर्णीत
2.	पैरा–4(बी)	अनिर्णीत
3.	पैरा–4(सी)	अनिर्णीत
4.	पैरा–5(1)	अनिर्णीत
5.	पैरा–6(i)(ii)(iii)	अनिर्णीत
6.	पैरा–7(i)	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि–4/07 से 3/11 तक

1.	पैरा–5.3	अनिर्णीत
2.	पैरा–5.4	अनिर्णीत
3.	पैरा–9	अनिर्णीत
4.	पैरा–10	अनिर्णीत
5.	पैरा–11	अनिर्णीत
6.	पैरा–13	अनिर्णीत
7.	पैरा–14	अनिर्णीत
8.	पैरा–15	अनिर्णीत
9.	पैरा–18	अनिर्णीत
10.	पैरा–19	अनिर्णीत

11.	पैरा–20	अनिर्णीत	
12.	पैरा–21	अनिर्णीत	

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि–4/11 से 3/13 तक

1.	पैरा–3	निर्णीत	
2.	पैरा–4(ख)(i)(ii)	अनिर्णीत	
3.	पैरा–4(ग)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
4.	पैरा–5(क)	अनिर्णीत	
5.	पैरा–5(ख)	अनिर्णीत	
6.	पैरा–5(ग)	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
7.	पैरा–6(क)	अनिर्णीत	
8.	पैरा–6(ख)	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
9.	पैरा–6(ग)	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
10.	पैरा–6(घ)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
11.	पैरा–7(क)	अनिर्णीत	
12.	पैरा–7(ख)(i)	आंशिक निर्णीत	(समस्त वसूलियां माह 5/15 के वेतन से व G 825/171 से दिनांक 2/5/15 को की गई। क्र0 सं0 13, 16 व 17 से क्रमशः ₹2550, ₹1200 व ₹1200 वसूली शेष)
13.	पैरा–7(ख)(ii)	निर्णीत	(₹36050 की वसूली 3/14 से 6/15 के वेतन बिलों से कर ली गई है)
14.	पैरा–8(क)	अनिर्णीत	
15.	पैरा–8(ख)	अनिर्णीत	
16.	पैरा–8(ग)	अनिर्णीत	
17.	पैरा–8(घ)	अनिर्णीत	
18.	पैरा–9	अनिर्णीत	
19	पैरा–10	अनिर्णीत	